क़िस्तों पर ख़रीद व फ़रोख़्त

फ़िक्ह अकेडमी के 10वें समिनार (24-27 अक्टूबर 1997 ई0, हज मंज़िल मुम्बई में यह प्रस्ताव पारित हुआः

1- ख़रीद फ़रोख़्त में उधार की क़ीमत नक़द की क़ीमत से ज़्यादा होना जायज़ और सही है, और इस तरह की ख़रीद व फ़रोख़्त का मामला करना जायज़ है, लेकिन इस के लिए शर्त यह है कि क़ीमत और अदायगी की मुद्दत मामला करते समय निश्चित रूप से तय कर ली जाए (1)

2 उधार क़ीमत एक बार में दी जाए या क़िस्तों मे, दोनों ही रूप सही हैं।

3- इस तरह का सौदा करते समय यह ज़रूरी है कि उसका मूल्य उसी वक्त निर्धारित किया जाए, चाहे केवल उधार क़ीमत बताई जाए या उधार व नक़द दोनों क़ीमतों।

4- उधार ख़रीद व फ़रोख़्त में नक़द के मुक़ाबले क़ीमत में बढोतरी रिबा (ब्याज) के अन्तर्गत नहीं आती।

5- निर्धारित अवधि में क़ीमत या क़िस्त अदा न होने की स्थिति में निर्धारित मूल्य में बढोतरी रिबा के अन्तर्गत आती है, इस लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है। न मामला करते समय यह शर्त लगाई जा सकती है न बाद में इसका मुतालबा किया जा सकता है।

6- किसी आदमी ने क़र्ज़ के बदले अगर कोई चीज़ गिरवी रखी है तो उस चीज़ से लाभ उठाना जायज़ नहीं है क्यूंकि यह भी रिबा के अन्तर्गत आता है।

7- गिरवी रखी गयी कोई चीज़ अगर नष्ट हो जाए तो उस चीज़ की क़ीमत अगर लिए गए क़र्ज़ के समान है तो किसी के ऊपर किसी का दैन बाकी नहीं रहता। अगर सामान की क़ीमत कम है तो दैन की बाक़ी रक़म क़र्ज़ लेने वाले को देना होगी। अगर सामान की क़ीमत ज़्यादा है तो दी गयी रक़म को उसमें से घटा कर बाक़ी क़ीमत रहन रखने वाला अदा करेगा, यदि उसकी लापरवाही की वजह से वह सामान नष्ट हुआ हो।

---

(1) जून 1990 में आयोजित तीसरे फ़िक्ही सेमिनार में मुराबिहा के सन्दर्भ में फ़ैसला न0 4 (ब) में कहा गया है कि ''यह ठीह नहीं होगा कि मामला करते समय यह कहा जाए कि अगर नक़द ख़रीदा जाए तो यह क़ीमत होगी और उधर ख़रीदा जाए तो दूसरी क़ीमत या उधार की अवधि घटने बढने पर क़ीमत से कम या ज़्यादा होने की बात की जाए। बल्कि बैंक ख़रीदार के सामान का नमूना दिखा कर यह स्पष्ट करें कि इसकी क़ीमत इतनी मुद्दत में इतनी क़िस्तों में अदा करनी होगी, और बैंक को इसकी लागत पर इतना मुनाफ़ा देना होगा (और यही बैंक से ख़रीदारी की क़ीमत होगी)'' मामले की ठीक शक्ल यही है, यानी उधार और नक़द की अलग अलग क़ीमत मामला करते समय नही बताई जाए, ऐसा करना उचित नहीं। लेकिन इस के बावजूद यह बात असल मामला तय करने से पहले हुई और मजलिस-ए-उक़द (मामला तय होने वाली मीटिंग) में मामला किसी एक सूरत पर तय कर लिया गया तो यह मामला सही होगा। यह स्पष्ट रहे कि उधार और किस्तवार सौदे में कोई अवधि तय की गयी। लेकिन ख़रीदार ने निर्धारित समय पर क़िस्त पर अदा नही की तो अवधि के बढने पर तयशुदा क़ीमत में कोई इज़ाफ़ा नहीं किया जा सकता।

8- यदि क़र्ज़ समय पर अदा न किया जाए और कर्ज़दार का रवैया टाल मटोल वाला ज़ाहिर हो तो क़र्ज़ देने वाले के लिए यह जायज़ है कि गिरवी रखे सामान को उचित दाम में बेच कर अपना हक़ उसमें से वसूल कर ले।

9- क़िस्तों में बेची गयी किसी चीज़ को बेचने वाला अगर उस समय तय अपने क़ब्ज़े में रखता है जब तक कि सारी क़िस्तें अदा न हो जाएं तो यह दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है कि दोनो पक्ष यह तय कर लें कि ख़रीदा गया सामान बेचने वाले के पास उस वक़्त तय गिरवी रहेगा जब तक उसकी सभी क़िस्तें अदा न हो जाएं।

10- निर्धारित अवधि मे कुछ क़िस्तें अगर अदा कर दी जाएं और बाक़ी क़िस्तें समय पर न दी जाएं तो बेचने वाले को यह हक़ नहीं होगा कि वह बेची गयी चीज़ को वापस ले ले और ली गयी क़िस्तें वापस न करे।

11- बेचे गए सामान को ख़रीदार के क़ब्ज़े में देकर उसे गिरवी समझना दुरुस्त नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि बेचने वाला ख़रीदार से लेकर गिरवी रखे और फिर ख़रीदार को अस्थाई रूप से दे।

12- क्रेडिट लेटर की उज्रत (मज़दूरी) तय करने के बारे में कमेटी ने आगे ग़ौर करने का फ़ैसला किया है।

13- क़र्ज़ की रसीदें या पर्चियां क़र्ज़ देने वाला अगर किसी दूसरे आदमी के हाथ कम क़ीमत पर बेचकर खुद मामले से अलग हो जाता है और दूसरे को उस क़र्ज़ का मालिक बना देता है तो इस तरह की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है।

14- कोई रक़म जो किसी से वसूल करनी हो, उसे तुरन्त हासिल करने के लिए रक़म में कमी कर देना जायज़ है अगर उसकी कोई अवधि पहले से निर्धारित न हो। अगर अवधि निर्धारत हो तो इस तरह का मामला जायज नहीं होगा।

15- क़र्ज़ की अदायगी में अगर क़िस्तें निर्धारित समय पर अदा न की जा रही हों तो उस क़र्ज़ की निर्धारित अवधि से पहले उसे अदा करने का मुतालबा जायज़ होगा क्योंकि एक पक्ष अगर समझौते का उल्लंघन कर रहा है तो दूसरे पक्ष के लिए उस समझौते की पाबंदी ज़रूरी नहीं है।

16- किसी दैनदारी की कुल क़िस्त अदा करने से पहले अगर दैनदार (क़र्ज़ लेने वाले) की मौत हो जाए तो मामला उसी रूप में बाक़ी रहेगा जैसा कि क़र्ज़ देने वाले की मौत की स्थिति में बाक़ी रहता है। शर्त यह है कि क़र्ज़ देने वाला उसपर सहमत हो।

☆☆☆